

## पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०:- 69/2021

इस कार्यालय के पत्रांक-का/283/VI/अंतर रेलवे मंडल/स्था०/विद्युत/सोन-। दिनांक-07.12.2020 एवं मरेप्र (का०) रॉंची मंडल, दक्षिण पूर्व रेलवे के पत्र सं०-SER/P-RNC/EL/223/N.T & M.K.20 Dt-17.12.20 द्वारा श्री मुन्ना कच्छप हेल्पर,वि०(गाड़ी प्रकाश)/बरौनी, एवं नित्यानन्द तिवारी, हेल्पर/वि०(जी)/हटिया के साथ जी.पी.-1800 लेवल-01 में अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण पर दोनों रेल की सहमति प्राप्त है। अतः रेल परिषद के पत्र सं०-ई/एनजी/1/2017/टीआर/24 दिनांक-09.05.18 के आलोक में श्री मुन्ना कच्छप हेल्पर,वि०(गाड़ी प्रकाश)/बरौनी को पारस्परिक स्थानान्तरण पर रॉंची मंडल विरमित किया जाना है। कर्मचारी को निम्न शर्तों के साथ इस कार्यालय को विरमित किया जाए।

1. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामलों से मुक्त होना चाहिये।
2. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानान्तरण अवकाश देय नहीं होगा।
3. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानान्तरण नहीं लेंगे।
4. वरीयता पारस्परिक स्थानान्तरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त पर वमंयाई/समाडि/सोनपुर महोदय द्वारा आदेशित है।

(विजय इंजीनियर),  
सकाधि-111

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)/सोन,

दिनांक:-27.01.2021

पत्र सं०-का/283/VI/अंतर रेलवे मंडल/स्था०/विद्युत सोन  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेपित:-

1. वमंविई/सोनपुर।
2. वमंयाई/सोनपुर।
3. वमंविप्र/सोनपुर।
4. मरेप्र(का०)रॉंची मंडल/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे।
5. सी०से०ई०(गाड़ी प्रकाश)/सोनपुर,हाजीपुर,बरौनी,मानसी एवं थानाबिहपुर।
6. संबंधित कर्मचारी।
7. अभिलेख प्रति।
7. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयू, अजा, अजजा, एवं ओ०बी०सी० एफो सोनपुर मंडल।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)/सोन,  
27.01.2021